राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 77/2015/चित्तौड़गढ़.

मैसर्स ओम प्रकाश गोयल एण्ड कम्पनी,
करौली (निम्बाहेड़ा) चित्तौड़गढ़. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/10/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 41/वैट/2014–15/चित्तौड़गढ़ में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा (जिसे आगे **'सशक्त अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत दिनांक 14.03.2014 को पारित आदेश में कर रूपये 80,454/– एवं शास्ति रूपये 1,72,401/– कुल मांग राशि रूपये 2,52,855/– सृजित की गई, के संबंध में अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार किया। अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार करने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.03.2014 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, बांसवाड़ा के द्वारा खेरवाड़ा टोल नाका के पास वाहन संख्या जी.जे.19–यू–4281 की चैकिंग की गई। वाहन में परिवहनित माल **'एम एस सटरिंग'** मैटेरियल अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में होने तथा वक्त परिवहन फॉर्म वैट–47 नहीं होने के कारण शास्ति आरोपित की गई।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि ओम प्रकाश गोयल एण्ड कम्पनी टिन नं. 08651152361 का धारक है तथा ठेकेदार के रूप में व्यवसायी है। अपीलार्थी को वैस्ट सेन्ट्रल रेलवे कोटा द्वारा ठेका कार्य दिया गया है जिसके लिये वाणिज्यिक कर अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। ठेका कार्य का निष्पादन करने के लिये अपीलार्थी द्वारा एम.एस.सटरिंग मैटेरियल कीमतन रूपये 5,74,670/— राज्य के बाहर से आयात किया जा रहा था। वाहन के साथ मध्यप्रदेश सरकार का फॉर्म वैट—49 संलग्न था। अपीलार्थी ने नोटिस के जवाब के साथ मूल वैट—47 संलंग्न कर प्रस्तुत किया तथा उसमें वैट—47 प्रस्तुत नहीं करने का भी उल्लेख किया है। बहस में आगे कथन किया कि सशक्त अधिकारी ने रूपये 80,454/— का कर अविधिक रूप से आरोपित किया है। सशक्त अधिकारी द्वारा तथ्यों की बिना जांच किये शास्ति आरोपित की है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :—

A. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट—प्रथम, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर बनाम मैसर्स सुरेश कुमार एण्ड कम्पनी जयपुर न्यायिक दृष्टान्त (2014) 9 RGSTR 74 (राजस्थान उच्च न्यायालय)

B. वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन भरतपुर बनाम मैसर्स एसवीएम ऑयल मिल्स प्रा.लि., भरतपुर न्यायिक दृष्टान्त (2014) 9 RGSTR 35 (राजस्थान टैक्स बोर्ड)

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 12.03.2014 को जांच अधिकारी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट—द्वितीय प्रतिकरापवचंन बांसवाड़ा द्वारा वाहन संख्या जी.जे.19—यू—4281 को रोक कर चैक किया गया वक्त चैकिंग वाहन में वलसाड़ (गुजरात) से करौली (राजस्थान) के लिये एम.एस.सटरिंग मेटेरियल परिवहनित किया जा रहा था। जांच के समय बिल, बिल्टी व मध्य प्रदेश का वैट—49 प्रस्तुत किया गया। परिवहनित माल अधिसूचित होने के कारण वैट—47 परिवहन के समय संलग्न होना आवश्यक बताया। सशक्त अधिकारी ने दिनांक 14.03.2014 को शास्ति आरोपण का नोटिस जारी किया। नोटिस का उत्तर दिनांक 14.03.2014 को निम्नानुसार

लगातार.....3

प्रस्तुत किया गया ''उत्तर में उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी निम्बाहेड़ा में पंजीकृत व्यवसायी है। जारी नोटिस में ओम प्रकाश गोयल एण्ड कम्पनी करौली लिखा हुआ है जिसे सुधार कर ओम प्रकाश गोयल एण्ड कम्पनी निम्बाहेड़ा के नाम से करने का निवेदन किया गया। ओम प्रकाश गोयल एण्ड कम्पनी मध्य प्रदेश में भी पंजीकृत व्यवसायी है तथा दोनों फर्मो में भागीदार समान होने से माल आयात होने से पूर्व आवश्यक ट्रान्जीक्ट फॉर्म वैट 47 लगाया जाना था। क्योंकि फॉर्म कम्प्युटर पर अपलोड कर भेजे जाने के प्रावधान होने से कम्प्युटर ऑपरेटर द्वारा भूल से मध्यप्रदेश में लगने वाले फॉर्म वैट 49 अपलोड कर भेज दिया गया इस बाबत् फर्म में कार्यरत कम्प्युटर ऑपरेटर जर्रार आबेदिन पठान अपना शपथ पत्र इस बाबत प्रस्तुत कर रहा है। तथा धारा 76(2) में वांछित प्रपत्र वैट 47 क्रमांक 0361136 संलग्न कर प्रस्तुत कर रहा है। अतः ऐसी स्थिति में 76(2) की पालना हो जाने से धारा 76(6) वैट अधिनियम के तहत शास्ति आरोपित किया जाना न्याय संगत नहीं होगा। यह कि सूचना पत्र में आप द्वारा कर भी आरोपित किये जाने का प्रस्ताव किया, चुंकि व्यवसायी एक पंजीकृत व्यवसायी है, अतः कर का आरोपण माल के आयात के बाद माल को बेचे जाने पर ही किया जा सकता है। अतः प्रस्तावित सूचना पत्र दिनांक 14.03.2014 निरस्त कर प्रार्थी का वाहन तथा माल शीघ्र छोडे जाने का आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।''

6. अपीलार्थी व्यवहारी ने सशक्त अधिकारी के नोटिस की पालना में उत्तर के साथ वैट 47 प्रस्तुत कर दिया। यह तथ्य पत्रावली में सशक्त अधिकारी की कार्यवाही से पुष्ट होती है। सशक्त अधिकारी द्वारा कोई जांच नहीं की गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **मैसर्स विडियोकोन इण्डस्ट्रीज लि., बनाम एसीटीओ न्यायिक दृष्टान्त (2014) 77 वी.एस.टी. पृष्ठ 286** में व्यवस्था दी गई है कि कारण बताओ नोटिस की पालना में घोषणा पत्र एस.टी.18ए प्रस्तुत कर दिये जाने पर इसे पर्याप्त पालना होना मानी जावेगी। सशक्त अधिकारी को धारा 76 के अधीन शास्ति आरोपण के स्तर पर कर आरोपित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की उक्त संदर्भित व्यवस्था के प्रकाश में सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं कर अविधिक होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलीय अधिकारी का आदेश त्रुटिपूर्ण है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

13.10.2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य